//कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग//

आफर पत्र

नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा बी.ओ.टी. के तहत चिन्हाकिंत स्थलों पर वॉटर ए.टी.एम. स्थापना एवं संचालन हेतु मैं/हमारी फर्म इच्छुक है तथा इसके लिए हमारी फर्म/स्वयं निर्धारित शर्तो का अध्ययन कर लिया एवं उसको पूर्ण रूपेण समझ लिया है इसके लिए हमारी दर नियमानुसार है :–

क	विवरण	दर	अन्य विवरण (यदि कोई हो तब)
1	वॉटर ए.टी.एम. स्थापना **(B.O.T. Based)**	संस्था/फर्म/प्रतिष्ठान/कंपनी के द्वारा निगम को प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि	

हस्ताक्षर ....

फर्म का नाम एवं पता ....

निविदाकर्ता सील ....

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग

1/3/16

//कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग//

वॉटर ए.टी.एम. स्थापना हेतु नियम एवं शर्ते :-

1. वॉटर ए.टी.एम. स्थापना हेतु सार्वजनिक जगह नगर पालिक निगम द्वारा फर्म को उपलब्ध कराई जावेगी।
2. स्थल पर मशीन हेतु आवश्यक निर्माण/संधारण फर्म को स्वयं कराना होगा। जिस पर उसका कोई स्वामित्व नही होगा।
3. स्थल पर विद्युत संयोजन फर्म को स्वयं कराना होगा एवं इसका मासिक बिल स्वयं जमा करना होगा।
4. ए.टी.एम. हेतु आवश्यक पानी निगम द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।
5. निर्धारित स्थल पर फर्म विज्ञापन कार्य कर सकेगी और इसी विज्ञापन से अपना व्यय वसूल करेगी विज्ञापन की साईज का उल्लेख निविदाकर्ता को स्पष्ट देना होगा
6. पानी की गुणवत्ता का परीक्षण शासकीय विभाग (पी.एच.ई.) के माध्यम से कराना होगा।
7. फर्म, नागरिको को **Filter ozonied water, Cooled Water** प्रदाय करेगी। इस हेतु मानक अनुसार आवश्यक उपकरण लगायेगी तथा उसकी क्षमता 1000 लीटर होगी।
8. ए.टी.एम. मशीन का संधारण **24 x 7** की तर्ज पर करना होगा।
9. उपरोक्त ए.टी.एम. हेतु निम्न स्थल प्रस्तावित है नया बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, जिला कार्यालय, तहसील, पटेल चौक, इंदिरा मार्केट, बोरसी हॉट बाजार, महिला समृद्धि बाजार तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर।
10. उपरोक्त सुविधाओं के एवज में निगम को अधिकतम आफरदाता को कार्य आबंटन में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
11. विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. कार्य की कार्यावधि 10 वर्ष रहेगी। तदपश्चात् विधिवत् चालू अवस्था में निगम को हस्तांतरित करना होगा।
13. फर्म नागरिको को 01 रू प्रति लीटर की दर से **Filter water** उपलब्ध कराना होगा।
14. मशीन से प्राप्त राशि फर्म स्वयं रखेगी।
15. ए.टी.एम. लगाने संबंधी अनुभवी निविदाकर्ता को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
16. उपरोक्त शर्तो के आधार पर इच्छुक फर्मो को रूचि के अभिव्यक्ति बिल्ट आपरेट एवं ट्रांसफर्र (बी. ओ.टी.) के तहत आफर आमंत्रित किया जाता है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, दुर्ग
29/2/16